तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09 / 020	पत्रावली पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के परिपत्र दिनांक 21-09-020 की अनुपालना में आगामी तारीख पेशी नियत की जाती है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव (पंचायत) में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-10-020 को पेश हो।	
22/10/20	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि० 23/11/20 को पेश हो।	
23/11/20	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि० 4/1/21 को पेश हो।	
4/1/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित आये। तलबीदार अलां से जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल किया गया। नकल दी गई। बाद बहस पत्रावली दिनांक 8/1/21 को पेश हो।	
8/1/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील व तलबीदार अलां उपस्थित आये। बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि [illegible] किया जाकर बाद तकमील तामील प्रकरण नम्बर से खारिज किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 6/19

हरीशचन्द पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी नौनेरा तहसील कामां जिला भरतपुर
बनाम
तहसीलदार कामां

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः 8.01.2021

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत पेश किया कि प्रार्थी ने एक किता बयनामा दिनांक 23.5.2007 को चन्दी से अपने हकमें बावत आराजी खसरा नम्बर 577/0.16एयर वाके ग्राम बसई डहरा मय लोहागढ तहसील कामां रूबरू उपपंजीयक कामां से तस्दीक कराया था जिसमें प्रार्थी क्रेता की जाति बखूबी जाट दर्ज की गई लेकिन हल्का पटवारी तत्कालीन द्वारा दाखिल खारिज दर्ज करते वक्त जाति जाट की बजाय माली दर्ज कर दी गई और दाखिल खारिज स्वीकार करा लिया। जिसका अमल जमाबन्दी में भी जाति माली दर्ज हो गई जिसके कायम रहने से प्रार्थी के अधिकारोंपर कुठारघात होता है । जिसमें माली के स्थान पर जाति जाट संशोधन किया जाना न्याय हित में अत्यन्त आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है कि प्रार्थी क़ी जाति माली के स्थान पर जाट किये जाने के आदेश फरमाये जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायल तहसीलदार कामां ने रिपोर्ट पेश की कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी सं. 2068–71 वाके ग्राम नौनेरा के खाता संख्या 291, 295 के अनुसार प्रार्थी हरीशचन्द के पिता रामप्रसाद पुत्र रामफल व सुखवीरी पत्नि रामप्रसाद की जाति जाट दर्ज रिकार्ड है । जबकि पटवारी हल्का न0 भोंगरा की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2069–72वाके ग्राम बसई डहरा मय लोहागढ के खाता संख्या 196 आ0ख0नं0 1063/577 रकवा 0.09 हे0 पर हरीशचन्द पुत्र रामप्रसाद कौम माली सा0 नौनेरा खातेदार दर्ज रिकार्ड है ।

प्रार्थी हरिशचन्द पुत्र रामप्रसाद निवासी नौनेरा ग्राम बसई डहरा मय लोहागढ में आ0ख0नं0 577 मि/0.16 का प्रार्थी द्वारा चन्दी पुत्र भूरा जाति जाट निवासी बसई डहरा मय लोहागढ से 9/16 हि0 का रजिस्टर्ड बयनामा कराया गया है । जिसमें प्रार्थी की जाति जाट दर्ज है । लेकिन प्रार्थी का जब बयनामा का नामान्तकरण संख्या 573 दिनांक 24.07.2007 कोदर्ज किया गया । उसमें प्रार्थी की जाति जाट की बजाय सहवन से माली दर्ज कर दी गई । जबकि रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी की जाति जाट ही दर्ज रिकार्ड है ।
अतः प्रार्थी हरिशचन्द पुत्र रामप्रसाद निवासी नौनेरा की जाति माली के स्थान पर जाट शुद्ध किया जाना उचित होगा ।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का मनन किया । राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी सं. 2068–71 वाके ग्राम नौनेरा के खाता संख्या 291, 295 के अनुसार प्रार्थी हरीशचन्द के पिता रामप्रसाद पुत्र रामफल व सुखवीरी पत्नि रामप्रसाद की जाति जाट दर्ज रिकार्ड है । जबकि पटवारी हल्का न0 भोंगरा की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2069–72 वाके ग्राम बसई डहरा मय लोहागढ के खाता संख्या 196 आ0ख0नं0 1063/577 रकवा 0.09 है0 पर हरीशचन्द पुत्र रामप्रसाद कौम माली सा0 नौनेरा खातेदार दर्ज रिकार्ड है ।

प्रार्थी हरिशचन्द पुत्र रामप्रसाद निवासी नौनेरा ग्राम बसई डहरा मय लोहागढ में आ0ख0नं0 577 मि/0.16 का प्रार्थी द्वारा चन्दी पुत्र भूरा जाति जाट निवासी बसई डहरा मय लोहागढ से 9/16 हि0 का रजिस्टर्ड बयनामा कराया गया है । जिसमें प्रार्थी की जाति जाट दर्ज है । लेकिन प्रार्थी का जब बयनामा का नामान्तकरण संख्या 573 दिनांक 24.07.2007 को दर्ज किया गया । उसमें प्रार्थी की जाति जाट की बजाय सहवन से माली दर्ज कर दी गई । जबकि रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी की जाति जाट ही दर्ज रिकार्ड है । यह एक पटवारी हल्का द्वारा लिपिक भूल है जो अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट में शुद्ध किया जाना उचित समझते है ।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाता है । हरीशचन्द पुत्र रामप्रसाद कौम माली की [illegible] जाट शुद्ध किये जाने आदेश दिया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामा (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
कामा (भरतपुर) राज0

Scanned with CamScanner